

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2019—आषाढ़ 26, शक 1941

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019

क्र. 9666-मप्रविस-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) जो विधान सभा में दिनांक 17 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१९

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा ४ संशोधन.

२. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) की धारा ४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१) नियत दिन को तथा से पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाला नवीन शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय स्थापित किया जा सकेगा.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाले नवीन शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुज्ञा का उपबंध करना वांछनीय है. अतएव, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) की धारा ४ में यथोचित रूप से संशोधन करना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ८ जुलाई, २०१९.

लाखन सिंह यादव

भारसाधक सदस्य.